

सं. सीपज-सेजा/श्रम/505/2015-16

1563

दिनांक: 05/02/2016

परिपत्र सं. श्रम / 05 /2015-16

विकास आयुक्त, सेजा को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार सेजों में रिश्तत यूनितों के संबंध में उन पर लागू किए जाने तथा उनका उल्लंघन होने पर आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार इस कार्यालय को है। आज की तारीख में सीपज (इलेक्ट्रानिकस) तथा जेम तथा ज्वैलरी सेक्टरों में कार्यरत अर्धकुशल, अर्धकुशल तथा कुशल कामगारों / कर्मचारियों के लिए लागू न्यूनतम मजदूरी इस प्रकार है: (दिनांक 01/01/2016 से दिनांक 30/06/2016 तक की अवधि का संशोधित विशेष भत्ता)

1. जेम तथा ज्वैलरी यूनित्स:-

	कुशल	अर्धकुशल	अकुशल
मूल मजदूरी	रु. 5500.00	रु. 5000.00	रु. 4500.00
विशेष भत्ता	रु. 3239.25	रु. 3239.25	रु. 3239.25
कुल	रु. 8739.25	रु. 8239.25	रु. 7739.25
मकान किराया भत्ता (5%)	रु. 436.96	रु. 411.96	रु. 386.96
न्यूनतम मजदूरी	रु. 9176.21	रु. 8651.21	रु. 8126.21

2. मुंबई दूकानें तथा प्रतिष्ठान:-

	कुशल	अर्धकुशल	अकुशल
मूल मजदूरी	रु. 5800.00	रु. 5400.00	रु. 5000.00
विशेष भत्ता	रु. 2953.80	रु. 2953.80	रु. 2953.80
कुल	रु. 8753.80	रु. 8353.80	रु. 7953.80
मकान किराया भत्ता (5%)	रु. 437.69	रु. 417.69	रु. 397.69
न्यूनतम मजदूरी	रु. 9191.49	रु. 8771.49	रु. 8351.49

3. सीपज (इलेक्ट्रानिकस) :-

	कुशल	अर्धकुशल	अकुशल
मूल मजदूरी	रु. 6300.00	रु. 5800.00	रु. 5300.00
विशेष भत्ता	रु. 3451.50	रु. 3451.50	रु. 3451.50
कुल	रु. 9751.50	रु. 9251.50	रु. 8751.50
मकान किराया भत्ता (5%)	रु. 487.57	रु. 462.57	रु. 437.57
न्यूनतम मजदूरी	रु. 10239.07	रु. 9714.07	रु. 9189.07


श्रम विभाग, महाराष्ट्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वर्ष में दो बार - 1 जनवरी तथा 1 जुलाई से विशेष भत्ता संशोधित किया जाता है।

यूनिटों को निदेश दिया जाता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनका कोई कर्मचारी किसी भी समय न्यूनतम मजदूरी से वंचित न रहे। जोन प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियोक्ताओं द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाता रहे, निर्दिष्ट अवधि के भुगतान रजिस्ट्रों की फोटो कॉपियां मंगवाकर रिकार्डों तथा रजिस्ट्रों की जांच नियमित रूप से करता रहेगा।

अनुलग्नक : यथोपरि।

प्रतिलिपि:-

- 1) सीपूज में स्थित सभी यूनिट
- 2) प्रेसिडेंट, सीपूज जेम्स तथा ज्वेलरी मेन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, बीएफसी बिल्डिंग
- 3) चेयरमैन, सीमा, सीपूज - सेज, मुंबई
- 4) क्षेत्रीय निदेशक 100% ईओयू तथा सेज के लिए ईपीसीईएस
- 5) आईटी अनुभाग - वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए


 (विजय प्रकाश शुक्ल)
 उप विकास आयुक्त
 सीपूज-सेज